

प्रेस नोट - 47

दिनांक 27.12.2024

सराहनीय कार्य अमेठी पुलिस

“नशा मुक्त अमेठी अभियान” के अन्तर्गत थाना बाजार शुक्ल पुलिस द्वारा कुल 34 ग्राम स्मैक के साथ 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार ।

जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व “नशा मुक्त अमेठी अभियान” के तहत दिनांक 27.12.2024 को उ0नि0 सत्य प्रकाश तिवारी थाना बाजार शुक्ल मय हमराही द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर 02 नफर अभियुक्तों 1. पिन्टू पुत्र संतराम उम्र करीब 23 वर्ष, 2. जितेन्द्र उर्फ छोटू पुत्र रामकिशोर उम्र करीब 24 वर्ष निवासीगण पूरे झाऊ का पुरवा मजरे दक्खिन गांव क्यार थाना बाजारशुक्ल जनपद अमेठी को रीछ घाट पूल के पास से समय करीब 02:37 बजे रात्रि में गिरफ्तार किया गया । तलाशी से अभियुक्त पिन्टू के कब्जे से 18 ग्राम स्मैक व अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ छोटू के कब्जे से 16 ग्राम स्मैक बरामद हुआ । गिरफ्तारी व बरामदगी के संबन्ध में थाना बाजार शुक्ल पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. पिन्टू पुत्र संतराम निवासी पूरे झाऊ का पुरवा मजरे दक्खिन गांव क्यार थाना बाजारशुक्ल जनपद अमेठी उम्र करीब 23 वर्ष ।
2. जितेन्द्र उर्फ छोटू पुत्र रामकिशोर निवासी पूरे झाऊ का पुरवा मजरे दक्खिन गांव क्यार थाना बाजारशुक्ल जनपद अमेठी उम्र करीब 24 वर्ष ।

बरामदगी-

- कुल 34 ग्राम स्मैक ।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

- मु0अ0सं0 307/24 धारा 8/18/21 एनडीपीएस एक्ट थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी ।

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 सत्य प्रकाश तिवारी थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी ।
2. उ0नि0 चंदशेखर यादव थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी ।
3. हे0का0 राजबहादुर सिंह थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी ।
4. का0 संदीप कुमार थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी ।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त पिन्टू-

1. मु0अ0सं0 88/22 धारा 379,441 भादवि थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी ।
2. मु0अ0सं0 141/22 धारा 441, 419, 420, 467, 468, 471, भादवि थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी ।
3. मु0अ0सं0 224/22 धारा 2/3 युपी गैंगेस्टर एक्ट भादवि थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी ।
4. मु0अ0सं0 160/23 धारा 411, 419, 420, 465, 467, भादवि थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी ।

अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ छोटू-

1. मु0अ0सं0 88/22 धारा 379, 441 भादवि थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी ।
2. मु0अ0सं0 141/22 धारा 441, 419, 420, 467, 468, 471, भादवि थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी ।
3. मु0अ0सं0 224/22 धारा 2/3 युपी गैंगेस्टर एक्ट भादवि थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी ।